

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकूल अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर जिला सागर के अन्तर्गत वनमंडल उत्तर सागर के वन परिक्षेत्र उत्तर सागर के कक्ष क्रमांक RF367, RF368 एवं PF369 का कुल रकमा 248.76 हेक्टेयर वन भूमि कड़ान मध्यम परियोजना के निम्ना हेतु जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक: 23/02/2018

स्थान: भोपाल


 (कैप्टन अनिल कुमार खरे)
 सचिव
 म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)